

दिनांक 29.08.2023 को सम्पन्न साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक (VC) से संबंधित कार्यवाही :-

PMGSY

1. Compliance of questionnaire given by Estimate Committee of Parliament के संबंध में :-

सभी कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि संसद के प्राक्कलन समिति की समीक्षा बैठक में माँगी गयी सूचना जिसकी विवरणी सभी कार्य अंचल एवं सभी कार्य प्रमंडल को पत्र के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही है, साथ ही समीक्षा बैठक में इन प्रश्नों को नोट भी करा दिया गया, का उत्तर प्रतिवेदन 03 दिनों के अन्दर BRRDA मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

2. PMGSY-III की आमंत्रित निविदाओं का BOQ upload कराये जाने के संबंध में:-

समीक्षा बैठक में सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को PMGSY-III के आमंत्रित निविदाओं का BOQ निश्चित रूप से दिनांक-29.08.2023 तक PMGSY Tender website पर upload करा लिये जाने का निदेश दिया गया।

3. Unspent balance of PMGSY Programme fund:-

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडलों के पास कुल 239.78 करोड़ की अव्यवहृत राशि का प्राधिकार लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडल, वायसी (25.97 करोड़), सीतामढ़ी एवं शिवहर (16.13 करोड़), भागलपुर (14.62 करोड़), बेनीपट्टी (9.55 करोड़), सिमरी-बख्तियारपुर (8.56 करोड़), उदाकिशनगंज (6.43 करोड़), पूर्णिया (6.69 करोड़), सिवान-1 (5.95 करोड़), पुपरी (5.53 करोड़) एवं सहरसा (5.42 करोड़) में सबसे अधिक अव्यवहृत राशि लम्बित है।

निर्देश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 05 सितम्बर 2023 तक लम्बित अव्यवहृत राशि का या तो उपयोग कर लें अथवा योजनावार इसका प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जिनके पास राशि लम्बित रहेगी उनका प्राधिकार रोक दिया जायेगा।

4. Unspent balance of 5-year routine maintenance fund:-

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडलों के पास कुल 98.46 करोड़ की Unutilized amount लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद (5.21 करोड़), सीतामढ़ी (4.63 करोड़), वायसी (3.92 करोड़), मोतिहारी (3.79 करोड़), झाझा (3.56 करोड़), गया (2.97 करोड़), बांका-2 (2.86 करोड़), अररिया (2.74 करोड़), शेरधाटी (2.72 करोड़) एवं पुपरी (2.57 करोड़) में सबसे अधिक अव्यवहृत राशि लम्बित है।

निर्देश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 05 सितम्बर 2023 तक लम्बित अव्यवहृत राशि का या तो उपयोग कर लें अथवा योजनावार इसका प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जिनके पास राशि लम्बित रहेगी उनका प्राधिकार रोक दिया जायेगा।

5. BHUVAN Portal के संबंध में :-

BHUVAN Portal पर प्रमण्डलों द्वारा किये जा रहे त्रुटियों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमण्डलों की प्रगति असंतोषजनक है। इस कार्य में सबसे धीमी प्रगति वाले 10 कार्य प्रमण्डल, वायसी (46.60%), औरंगाबाद (45.60%), अररिया (45.10%), समस्तीपुर (44.50%), सीतामढ़ी (40.70%), महराजगंज (40.60%), बक्सर (39.50%), पकड़ीदयाल (39.40%), पटना (38.60%) एवं हाजीपुर (37.90%) हैं, जिनका दर्शाया गया प्रतिशत कार्य upload किया जाना लम्बित है।

निर्देश:- बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निर्देशित किया गया कि इस कार्य को हर हाल में 05 सितम्बर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा प्रमण्डलों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

6. GPS based VTS के संबंध में :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत पथों के निर्माण के दौरान कार्यरत वाहनों machinery/equipment में GPS enabled के installation कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि 289 कार्यरत पथों में से मात्र 266 पथों में 574 GPS enabled VTS को install किया गया है।

निर्देश:- बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत शेष बचे 23 पथों में कार्यरत, न्यूनतम 1 machinery/equipment में GPS enabled VTS के installation 05 सितम्बर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाय, अन्यथा OMMAS पर इन योजनाओं का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा freeze कर दिया जायेगा।

7. eMARG के संबंध में :-

PMGSY योजनान्तर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षणाधीन पथों का Bi-monthly Routine Inspection eMARG के माध्यम से किया जाना है। माह अगस्त-2023 में अब तक किये गये Bi-monthly Routine Inspection कार्य नहीं करने वाले शीर्ष 10 defaulter कार्य प्रमण्डल, मुंगेर (07 RI), खड़गपुर-तारापुर (05 RI), सिमरी-बखित्यारपुर (05 RI), औरंगाबाद (04 RI), बेतिया (04 RI), मनिहारी (04 RI), पालीगंज (04 RI), शेखपुरा (04 RI), किशनगंज-2 (04 RI) एवं भभुआ (03 RI) हैं।

निर्देश:- सभी कार्य प्रमण्डलों को निर्देश दिया गया कि अगस्त-2023 में किये जाने वाले शेष Bi-monthly Routine Inspection को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

8. भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों के अंतिम विपत्र का निष्पादन:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भौतिक रूप से पूर्ण 249 कार्यों को वित्तीय रूप से पूर्ण किया जाना लम्बित है।

निर्देश:- सभी संबंधित कार्य प्रमण्डलों को निर्देशित किया गया कि 05 सितम्बर 2023 तक लम्बित अंतिम विपत्रों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

- 9. CPGRAM Portal पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन:-**
 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडलों के पास कुल 34 शिकायतों का उत्तर प्रतिवेदन लम्बित है।
निर्देश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि 05 सितम्बर 2023 तक लम्बित शिकायतों का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता / अधीक्षण अभियंता)

राज्य योजना (NABARD)

- नाबार्ड अन्तर्गत AA प्राप्त हो चुका सभी पुलों का BOQ एवं TS का समीक्षा किया गया।
 AA प्राप्त हो चुका सभी पहुँच पथ का निविदा आमंत्रित करने की समीक्षा की गयी।

(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता / अधीक्षण अभियंता)

FDR

- Google Sheet में प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार कुल 195 पथ तथ 16 पुल/पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 55 पथों में जल जमाव है।
 Drone Stage-I Videography मात्र 161 पथों का MIS के FDR Module में अपलोड किया गया है वैसे सभी प्रमंडल जिनका Stage-I Videography पूर्ण नहीं किया गया है उन्हें यथा शीघ्र Upload करने हेतु निदेशित किया गया है।

Drone Videography 3 Stage में कराना है एवं इसे MIS esaUpload करना है। Stage-I & Stage-II के संबंध में पत्रांक-4595 दिनांक 25.08.2023 के संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता को अवगत कराया गया।

कुल 127 पथ/पुलों को मोटरेबुल कार्य करा दिया गया है तथा जल जमाव वाले पथों में जलस्तर घटने के उपरांत शीघ्र मोटरेबुल कार्य कराने का निदेश दिया गया।

SQC

- NRIDA, नई दिल्ली में होने वाली Technical committee की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु Contention Report की मांग गत वर्ष 2022 माह दिसम्बर से लगातार विभागीय V.C एवं पत्र के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता से करने के बावजूद मु030-1 प्रक्षेत्राधीन कार्यप्रमंडल औरंगाबाद, दाउदनगर, गया, नवादा, रजौली, शेरधाटी मु030-2 प्रक्षेत्राधीन कार्यप्रमंडल बांका-2, झाझा, कहलगांव, खगड़िया एवं मु030-3 प्रक्षेत्राधीन बलिया, बेनीपटी एवं ढाका से अप्राप्त है। माह जुलाई में Technical committee की बैठक की सुचना प्राप्त हुई है। अतएव संबंधित कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अंदर Contention Report समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा भारत सरकार द्वारा Non-rectifiable Defects (NRD) घोषित होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता पूर्णत जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन— संबंधित कार्यपालक अभियंता)

PMGSY अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन पथों/पुलों के NQM/SQM निरीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों का निराकरण NRIDA के दिश-निर्देश के अनुसार निरीक्षण के एक माह के अन्दर ATR समर्पित किया जाना है परन्तु लगातार विभागीय V.C एवं पत्र के माध्यम से स्मारित करने के बाबजूद अभी भी 90 NQM ATR लम्बित है सूची RWD Whatsapp पर दे दी गई है। Stuck up scheme के ATR को छोड़कर लम्बित सभी ATR संबंधित कार्यपालक अभियंता 31 अगस्त तक समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा लम्बित रखने वाले कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

(अनुपालन— संबंधित कार्यपालक अभियंता)

MERI SADAK App पर प्राप्त शिकायत का Final Reply लम्बित की संख्या 48 है जिसकी सूची RWD Whatsapp पर दे दी गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अन्दर इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन— संबंधित कार्यपालक अभियंता)

NRIDA के दिशा-निर्देश के अनुसार PMGSY अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों/पुलों के QCR Part I (Quality Control Register) को अधीक्षण अभियंता द्वारा ग्रेड प्रदान कर e-mail के माध्यम से SQC को भेजा जाना है तत्पश्चात SQC/ CE / CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान कर OMMAS पर अपलोड किया जाना है। 20% QCR संबंधित मुख्य अभियंता एवं 10% QCR CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान किया जाना है। वर्तमान में SQC / CEO, BRRDA द्वारा लगभग 93% QCR OMMAS पर अपलोड किया जा चुका है। अतएव बचे हुए QCR का अधीक्षण अभियंता द्वारा ग्रेडिंग करने के पश्चात संबंधित मुख्य अभियंता को भेजना सुनिश्चित करें। सन्दर्भित पत्र पूर्व में भी निर्गत किया जा चुका है।

(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

पुल/पुलिया :-

(1) सभी कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया कि जिन-जिन डी0पी0आर० में Super Structure के लिए MORTH का Drawing दिया गया है उसके Sub-Structure के निरूपन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है ताकि Expansion Joint को गुणवत्ता पूर्ण तरिके से स्थापित किया जा सके।

अतः निर्देश दिया गया कि संबंधित डी0पी0आर० में आवश्यकतानुसार Consultant से सम्पर्क कर Drawing में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित करें तथा इसके Revise TS के बाद ही कार्य प्रारंभ हो।

(2) 24.75 मी० तक के Span के लिए MORTH के Super Structure के Drawing में दिये गये Specification के अनुसार POT-PTFE Bearing के जगह पर Elastomeric Pad Bearing का प्रावधान किया जाय।

(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

मारुपुरा
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक— ४७५०

/दिनांक ०४/०९/२०२३

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल / कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मेरा ज्ञापांक)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक— ४७५०

/दिनांक ०४/०९/२०२३

प्रतिलिपि :— सभी मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मेरा ज्ञापांक)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक— ४७५०

/दिनांक ०४/०९/२०२३

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेव साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मेरा ज्ञापांक)

अभियंता प्रमुख

—
—